रजिस्टर्ड नं० एल०-33/एस० एम०/13-14/95.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बुधवार, 27 सितम्बर, 1995/5 आश्विन, 1917

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-4, 27 सितम्बर, 1995

संख्या 1-38/95-वि० स०.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 135 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1995 (1995 का

3018-राजपत्र/95-27-9-95—1,221 मूल्य : 1 रुपया।

विधेयक संख्यांक 8) जो दिनांक 27 सितम्बर, 1995 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो गया है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ असाधारण राजपत्र में मुद्रित करने हतु प्रेषित किया जाता है ।

हस्ताक्षरित/-

सचिव,
हिमाचल प्रदेश विधान सभा ।

1995 का विधेयक संख्यांक 8.

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1995

(विधान सभा में यथा पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का 13) का संशोधन करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के छियालीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 1995 है ।

(2) यह प्रथम अगस्त, 1995 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

धाराएं 17-क और 17-ख का अंत:-स्थापन ।

1994 का 13

2. हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं 17-क और 17-ख अन्त:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

"17-क. निर्वाचन व्ययों का लेखा और उनकी अधिकतम मात्रा.—(1) निर्वाचन में का हर अभ्यर्थी निर्वाचन में सम्बन्धी उस सब व्यय का जो, उस तारीख क, जिसको यह नाम निर्दिष्ट किया गया है और उस निर्वाचन के परिणामों की घोषणा, की तारीख के, जिनके अन्तर्गत ये दोनों तारीखें आती हैं, बीच स्वयं द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत या प्राधिकृत किया गया है, पृथक और सही लेखा या तो वह स्वयं रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा ।

(2) लेखे में ऐसी विशिष्टियां अन्तर्विष्ट होंगी जैसी राज्य सरकार द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से विहित की जाएं ।

(3) उक्त व्यय का जोड़ उस रकम से अधिक न होगा जो राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए ।

17-ख. लेखे का दाखिल किया जाना.—(1) निर्वाचन में का हर निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से या यदि निर्वाचन में एक से अधिक निर्वाचन अभ्यर्थी हैं, और उनके निर्वाचन की तारीखें भिन्न हैं तो उन तारीखों में से पश्चात्वर्ती तारीख से तीस दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जो उस लेखा की सही प्रति होगी जिसे उसने या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने धारा 17-क के अधीन रखा है, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा यथा निर्युक्त अधिकारी के पास दाखिल करेगा ।" ।

धारा 301 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 301 में उप-धारा (6) के पश्चात् निम्नलिखित उप-धारा (6क) जोड़ी जाएगी, अर्थात्:—

"(6क) धारा 17-क के उल्लंघन में व्यय उपगत या प्राधिकृत करना ।" ।

1995 के अध्यादेश संख्यांक 2 का निरसन।

4. (1) हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 1995 का एतद्-द्वारा निरसन किया जाता है ।

(2) हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 1995 के निरसित होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

इस समय, हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का 13) में निर्वाचन व्यय की, जो राज्य में नगरीय स्थानीय निकायों का निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी द्वारा उपगत किया जा सकेगा, धनीय सीमा नियत करने और राज्य निर्वाचन आयोग को निर्वाचन-व्यय का लेखा प्रस्तुत करने के लिए कोई उपबन्ध नहीं है। नगरीय स्थानीय निकायों के लिए स्वतन्त्र और निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित करने के लिए राज्य में स्थानीय निकायों का निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी द्वारा उपगत किए जाने वाले निर्वाचन-व्यय की धनीय सीमा नियत करना और राज्य निर्वाचन आयोग को निर्वाचन व्यय की विवरणी प्रस्तुत किए जाने को बाध्यकर बनाना वांछनीय है। नगरीय स्थानीय निकाय (नगर निगम, शिमला को छोड़कर) की अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी है और नगरीय स्थानीय निकायों के शीघ्र निर्वाचन के लिए सक्रिय प्रयत्न किए जा रहे हैं। इसलिए उक्त अधिनियम में तत्काल संशोधन किया जाना आवश्यक हो गया है।

क्योंकि हिमाचल प्रदेश विधान सभा सत्र में नहीं थी और हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 में तत्काल संशोधन किया जाना अपेक्षित था, अत: हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के अधीन हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 1995 (1995 का 2), 29 जुलाई, 1995 को प्रख्यापित किया गया और इसे प्रथम अगस्त, 1995 के राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में प्रकाशित किया गया था। उक्त अध्यादेश अब नियमित अधिनियमिति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना अपेक्षित है।

अत: यह विधेयक, उपरोक्त अध्यादेश को बिना किसी उपान्तरण के प्रतिस्थापित करने के लिए है।

शिमला
तारीख : 27 सितम्बर, 1995.

जय विहारी लाल खाची,
प्रभारी मन्त्री।

वित्तीय ज्ञापन

-शून्य-

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 2 राज्य सरकार को, राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से निर्वाचन में के हर अभ्यर्थी द्वारा लेखे में अन्तर्विष्ट की जाने वाली विशिष्टियां और उपगत किये जाने वाले व्यय के सम्बन्ध में नियम बनाने के लिए सशक्त करेगा। प्रस्तावित प्रत्यायोजन आवश्यक और सामान्य स्वरूप का है।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No 8 of 1995.

THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL (AMENDMENT) BILL, 1995

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to amend the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (Act No. 13 of 1994).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Forty-sixth Year of the Republic of India as follows:

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Himachal Pradesh Municipal (Amendment) Act, 1995.

(2) It shall and shall be deemed to have come into force on the 1st day of August, 1995.

Insertion of sections 17 A and 17 B.

2. After section 17 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (hereinafter called the principal Act), the following sections 17 A and 17 B shall be inserted, namely: 13 of 1994

"17 *A. Account of election expenses and maximum thereof.* - (1) Every candidate at an election shall, either by himself or by his election agent, keep a separate and correct account of all expenditure in connection with the election incurred or authorised by him or by his election agent between the date on which he has been nominated and the date of declaration of the result thereof, both dates inclusive.

(2) The account shall contain such particulars, as may be prescribed by the State Government in consultation with the State Election Commission.

(3) The total of the said expenditure shall not exceed such amount as may be prescribed by the State Government in consultation with the State Election Commission.

17-*B. Lodging of account.* Every contesting candidate at an election shall, within thirty days from the date of election of the returned candidate or, if there are more than one returned candidates at the election and the dates of their election are different, the later of those two dates, lodge with the officer, as may be appointed by the State Election Commission, an account of his election expenses which shall be a true copy of the account kept by him or his election agent under section 17A.".

Amendment of section 301.

3. In section 301 of the principal Act, after sub-section (6), the following sub-section (6A) shall be added, namely :—

'(6A) The incurring or authorising, of expenditure in contravention of section 17A.'.

Repeal of Ordinance No. 2 of 1995.

4. (1) The Himachal Pradesh Municipal (Amendment) Ordinance, 1995, is hereby repealed.

(2) Notwithstanding the repeal of the Himachal Pradesh Municipal (Amendment) Ordinance, 1995, anything done or any action taken under the said Ordinance, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

At present there is no provision in the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (Act No. 13 of 1994) to fix a monetary limit of election expenses which can be incurred by a candidate contesting the election to the urban local bodies in the State and to submit an account of election expenses to the State Election Commission. In order to ensure the free and fair elections to the urban local bodies it is desirable to fix a monetary limit of election expenses to be incurred by a candidate contesting the election to the local bodies in the State and to make submission of election expenses returns to the State Election Commission obligatory. The term of urban local bodies (except the Municipal Corporation, Shimla) has already come to an end and efforts are afoot to hold the election to the urban local bodies early. It has thus become necessary to make immediate amendmets in the aforesaid Act.

Since the Himachal Pradesh Legislative Assembly was not in session and the aforesaid amendments in the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994, was required to be made urgently, the Governor, Himachal Pradesh, promulgated under clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Himachal Pradesh Municipal (Amendment) Ordinance, 1995 (Ordinance No. 2 of 1995) on the 29th July, 1995 and the same was published in the Rajpatra, Himachal Pradesh (Extra-ordinary) dated the 1st August, 1995. The said Ordinance is now required to be replaced by a regular enactment.

Hence this Bill seeks to replace the aforesaid Ordinance without any modification.

JAI BIHARI LAL KHACHI,
Minister-in-Charge.

SHIMLA :
Dated 27th, September, 1995.

FINANCIAL MEMORANDUM

NIL

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 2 of the Bill empowers the State Government to make rules, in consultation with the State Election Commission, regarding particulars as may be contained in the account and maximum expenditure to be incurred by each candidate at an election. The proposed delegations are essential and normal in character.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।